Public

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड के तहत परियोजना/ Projects under DPR mode

उत्पादकता सुधार, एकत्रीकरण, नवोन्मेष और बाजार संपर्क आदि से संबंधित सभी परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड के तहत मंजूरी दी जाती है. इस निधि के तहत आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ स्वैच्छिक एजेंसियों और अन्य संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक एजेंसियों को कौशल विकास, सतत आजीविका का संवर्धन, कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में उत्पादकता वृद्धि और सूचना के प्रसार एवं बाजारों के साथ संपर्कों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने तथा प्रसारित करने हेतु परियोजनाओं की मंजूरी दी जाती है. इन परियोजनाओं को आमतौर पर 2 से 3 वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी जाती है.

All the projects related to productivity improvement, aggregation, innovations and market connectivity, etc., are sanctioned under Detailed Project Report (DPR) mode. Under the Fund, projects are sanctioned to ICAR, Agricultural Universities, Krishi Vigyan Kendras, Financing Institutions, NGOs/ Voluntary agencies and other promotional and developmental agencies to promote and disseminate transfer of technology for skill development, sustainable livelihood promotion, productivity enhancement in agriculture and farm related activities and information dissemination and linkages with markets. These projects are sanctioned, normally for a period of 2 to 3 years.